न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
57/2024	FSS ACT	20.06.2024	22.08.2025

1. श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

—आवेदक

बनाम

1. श्री रामदत्त पुत्र श्री दीनदयाल, उम्र 48 वर्ष, जाति ब्राहम्ण, मालिक मैसर्सः शुक्ला डेयरी, ई 385 ग्रोथ सेंटर, एक्शटेंशन रीको, सदर थाना धौलपुर निवासी ग्राम डरूपुरा पंचायत दयेरी तह0 मनियां, धौलपुर

—अभियुक्त

पूर्ण अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) /51एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक 22.08.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) 51 न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 31.08.2023 को दोपहर 03:00 पीएम पर मैसर्सः शुक्ला डेयरी, ई 385 ग्रोथ सेंटर, एक्शटेंशन रीको, सदर थाना धौलपुर पर पहुंचा मौजूद व्यक्ति को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे,तो उसने अपना नाम रामदत्त पुत्र श्री दीनदयाल, उम्र 48 वर्ष, जाति ब्राहम्ण, मालिक मैसर्सः शुक्ला डेयरी, ई 385 ग्रोथ सेंटर, एक्शटेंशन रीको, सदर थाना धौलपुर निवासी ग्राम डरूपुरा पंचायत दयेरी तह0 मनियां, धौलपुर एवं लाईसेंस /रजिस्ट्रेशन दिखाने हेतु कहां तो उन्होने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर दिखाया। निरीक्षण के दौरान डेयरी में मौजूद टैंक में स्थित लगभग 500 लीटर मिश्रित दुध भरा हुआ था जो कि आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। इस मिश्रित दुध में मिलावट का शक हुआ तो आवेदक ने उक्त मिश्रित दुध का नमूना वास्ते जांच देने हेतु कहां। और विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5(ए) के देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहन के हस्ताक्षर कराकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। विक्रेता के उक्त 500 लीटर मिश्रित दुध में से 2 लीटर मिश्रित दुध वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता रामदत्त पुत्र श्री दीनदयाल को बंसल को रू. 100/– (सौ रूपये) नगर देकर रसीद प्राप्त की जिस पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 लीटर मिश्रित दुध को विक्रेता एवं गवाहन को दिखा कर बोतल में डाल कर लेबल तैयार कर प्रत्येक प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लैबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी 3082 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम, पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान फोर्मलिन आदि दर्ज कर आवेदन द्वारा हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी 3082 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर की ओर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारों ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार-चार जगह ऊपर, नीचे, दाये, बांये, सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर व आधे खाकी कागज पर आवें, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर नमूना विवरण लिखकर मैने भी हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ़कर सुनाकर, समझाकर रामदत्त पुत्र श्री दीनदयाल के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 vi की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 vi की एक प्रति के एक खाकी कागज मे लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली संलग्न है। फार्म संख्या vi की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या vi की पुस्त पर अंकित है। सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म संख्या vi की दो प्रतियों के एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर डी.ओ. कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली संलग्न है। नमूने के शेष चौथे भाग एवं फार्म सख्या vi की एक प्रति एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए / 2024 / 55 दिनांक 10.03.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एलएस / 139 / एक्ट / 2024 / 163 दिनांक 28.02.2024 का अध्ययन करने पर यह नमूना असुरक्षित (Unsafe) प्रकृति का पाया गया तत्पश्चात् खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा रैफरेल प्रयोगशाला से पुनः जांच बाबत् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर नमूने का द्वितीय भाग पुनः जांच बाबत् रैफरल प्रयोगशाला मैसूर भिजवाया गया जहां से प्राप्त पत्र सर्टिफिकेट संख्या 495एफ / एफएसएसए / 2024 दिनांक 07.05.2024 के द्वारा अवमानाक **(सबस्टेण्डर्ड)** पाया गया मूल जांच रिपोर्ट न्याय निर्णयक आवेदन के साथ संलग्न है।

निर्णायक अधिकारी एवं
... मजिस्ट्रेट

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त ने सब स्टेण्डर्ड मिश्रित दूध का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान की समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाये।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त के अभिभाषक ने जबाब पेश किया ।

अपने जबाब में कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति दिनांक 26.07.2011 को श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक FSSA/2020/750/06.10.2020 के अनुसार कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर आवंटित किया गया है । खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्ति हाने के लिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2.1.3 के परन्तुक (खण्ड) 2 व 3 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्ति होने के दिनांक से 2 वर्ष के अन्दर विभाग द्वारा फूड एवं सेंम्पलिंग बावत् विशेषकृत ट्रैनिंग करना अनिवार्य है । श्री पदम सिंह परमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्ति की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि में कोई विशेषकृत ट्रैनिंग प्राप्त की हो ऐसा कोई रिकार्ड पत्रावली में संलग्न नहीं है । श्री पदम सिंह परमार दिनांक 31.08.2023 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी नहीं था तो उनके द्वारा दिनांक 31.08.2023 को दोपहर 03:00 पीएम पर उसके द्वारा की गई कार्यवाही Null & Void हो जाती है । इस कारण प्रार्थी के विरूद्ध धारा 26 2 (ii) FSS Act की ड्रॉप किये जाने योग्य है ।

प्रकरण में दूध का मिक्स मिल्क का नमूना लेना बताया है जब नमूना जांच होके आया तो मिल्क फैट 2.8 अधिक आई है और SNF 0.78 अधिक आई है। जबकि RM की मात्रा कम बताई गई है। लेकिन इस रिपोर्ट में किसी बाहरी वस्तु की मिलावट नहीं बताई है। लेकिन फूड लेबोरेटरी मैसूर की रिपोर्ट के अनुसार मिल्क फैंट 1.85 कम बताई गई है लेकिन इस रिपोर्ट में किसी बाहरी वस्तु की मिलावट नही बताई गई है। इस कारण दोनो ही जांच रिपोर्ट के अनुसार दूध में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट होना अंकित नही है। जहां तक स्टैण्डर्ड मानक कम आने की प्रश्न है तो मिक्स मिल्क में यदि गाय का दूध अधिक भाग में हो और भैस का दूध कम मात्रा में हो मानको में अंतर आ सकता है। इस कारण प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी को दण्डित नही किया जा सकता है।

प्रकरण में जो नमूना सैंपल लिया गया है वो नमूना चैक ही नही हुआ ऐसी स्थिति में अभियुक्त को दण्डित नही किया जा सकता । फर्द रिपोर्ट के अनुसार नमूना 4 साफ व सूखी शिशियों/जारो में बराबर–बराबर डाला अंकित है और इस्तगासा की मद 06 में दूध

निर्णायक अधिकारी एव
जिला मजिस्ट्रेट

Scanned with OKEN Scanner

का नमूना कॉच की बोतलों में लेना बताया है जबकि जो नमूना चैक होने आया वो नमूना चौडे मुंह की प्लास्टिक बोतल का चैक होने आया। इस कारण प्रार्थी को दण्डित नही किया जा सकता है।

प्रकरण में पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्ररी भरतपुर की नमूना की जांच रिपोर्ट व फुड लेबोरेट्ररी मैसूर की जांच रिपोर्ट दोनो ही भिन्न–भिन्न है। इस कारण कौन सी लेबोरेट्ररी की रिपोर्ट सही है और कौनी सी लेबोरेट्ररी की जांच रिपोर्ट गलत है। इस कारण भी अभियुक्त दण्डित नही किया जा सकता है।

प्रकरण में मैसर्स शुक्ला डेयरी से नमूना तो लेना बताया है लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर द्वारा मैसर्स शुक्ला डेयरी धौलपुर के विरूद्ध कोई अभियोजन स्वीकृति प्रदान नही की गई है और ना ही एफएसओ द्वारा अभियुक्त मैसर्स शुक्ला डेयरी को प्रस्तुत प्रकरण में बनाया गया है तो ऐसी स्थिति में जिस फर्म से नमूना लेना बताया गया है उसके खिलाफ जब कोई अभियोजन स्वीकृति ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को दण्डित नही किया जा सकता है।

बहस अधिवक्ता अभियुक्त सुनी गई। बहस के दौरान वकील अभियुक्त ने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकरण को ड्रॉप फरमाए जाने हेतु निवेदन किया है।

हमारे द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली मे संलग्न **PUBLIC HEALTH LABORATORY BHARATPUR,(RAJASTHAN).** की **REPORT NO.LS/139/Act/2024/163 DATE 28-02-2024** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

"**Opinion**- The sample of "**Mixed Milk**" bring Code No- and Sr. No. **D-3082** of Designated Officer Cum Chief Medical & Health Officer,Dholpur is **Unsafe food under section 3(1)(zz)(iv) and 3(1)zz(xi)** of food Safety and Standard Act,2006 **as the milk fat is substituted wholly by any inferior and cheaper Substance.**

एवं पत्रावली में संलग्न **Certificate of analysis by the Referral Food Laboratory, Mysore** का Certificate No: **495F/FSSA/2024** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

Opinion:

And I am the opinion that the sample **"Substandard"** as defined under Section 3(1)(zx) of Food Safety and Standards Act, 2006 as it **does not conform** to the standards laid down for Mixed Milk under the provisions of Food Safety and Standards (Food Product and Food Additives) Regulations, 2011 thereof, in that:

a) Milk fat content falls below the minimum Standard limit and
b) Test for cane sugar is positive

Scanned with OKEN Scanner

अभियुक्त द्वारा सब स्टैण्डर्ड (SUB-STANDARED) प्रकृति की खाद्य वस्तु निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। अभियुक्त द्वारा अंकित कथनों के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं किया है। अभियुक्त द्वारा की गई बहस व पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत है कि आवेदक द्वारा आवेदक के विरूद्ध की गई कार्यवाही उचित है। अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अभियुक्त को 5000/–(अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माने की राशि कैशियर कलक्ट्रेट धौलपुर को जमा करावें । वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। यह निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
20/8/25
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner